राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 138, 139, 140, 141, 142 व 145/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स राधा मोहन बिल्डर्स, , प्रा.लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–जी, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 13.01.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त वृत्त–जी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 सपठित अधिनियम की **धारा 33** के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष **2007–08 (चतुर्थ तिमाही) 2008–09 (द्वितीय तिमाही) 2008–09 (चतुर्थ तिमाही), 2008–09 (प्रथम तिमाही), 2009–10 (प्रथम तिमाही) व 2008–09 (तृतीय तिमाही)** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **17.10.2013** में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान क्रमशः **₹80,730/–, ₹56,878/–, ₹1,08385/–, ₹41,725/– ₹1,23,705/– ₹1,04,052/–** पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। 3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । 4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक होने के कारण, त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि हस्तगत प्रकरण अधिनियम की धारा 33 की परिधि (Scope) में नहीं आता । कथन किया कि संचेतन मस्तिष्क से आलोच्य अवधि के पारित किये गये मूल निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानान्तर्गत परिशोधित नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से पारित निर्धारण आदेश, जो अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं था, के बिन्दु पर विचार किये बिना ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित निर्धारण आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशि के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। कथन किया कि संचेतन मस्तिष्क से पारित निर्धारण आदेशों का लगातार.....2	

06.02.2014

पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं है। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253** में छपा है, में यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है। अतः माननीय शीर्ष न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन **प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर,** बकाया मांग राशि, की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

5. विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि **हस्तगत प्रकरण में कायम की गयी मांग राशि के बिन्दु पर तथ्यात्मक स्थिति तथा** राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 के क्लॉज 9B(viii) तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के रिप्स, 2003 के क्लॉज 11 के तहत् स्पष्टीकरण संख्या एफ. 4(18)एफडी/डिवी/2001 दिनांके 10.10.2009 के बिन्दु संख्या–6 **के निर्वचन के बिन्दु अन्तर्वलित है । अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।** लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग राशि **₹80,730/–, ₹56,878/–, ₹1,08385/–, ₹41,725/– ₹1,23,705/– ₹1,04,052/–** की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में **पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में,** अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 6 माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है तथा इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।**

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. आदेश सुनाया गया।

6.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य